कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री सुरेश चन्द शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाना, जिला दौसा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुरा, धौलपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सुरेश चन्द शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 750/2018 सुरेश चन्द शर्मा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2018 द्वारा अपीलार्थी को विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उस पर विधि अनुसार विचार करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking Order) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अभ्यावेदन निस्तारण तक विभाग का आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.05.2018 माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पिता के गुर्दे व हृदय रोग सम्बन्धी बीमारी व माता के लकवा रोग से ग्रस्त होने व स्वयं के माता–पिता का इकलौता पुत्र होने के मद्देनजर अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाना जिला दौसा किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2018 द्वारा राउमावि–गुलाना जिला दौसा में डॉ. सत्यदेव उपाध्याय को पदस्थापित किये जाने के कारण वर्तमान में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। श्री सुरेश चन्द शर्मा को राउमावि–भाण्डेडा, बान्दीकुई जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित कर अनुतोष प्रदान किया जा चुका है एवं उनके द्वारा उक्त पदस्थापन स्थान पर दिनांक 02.07.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/अपील/सुरेशचन्द/750/2018 दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, दौसा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / बी–2 / 45002 / प्रधानाचार्य रिव्यू डीपीसी / 01–02 से 17–18 / 2018 दिनांक 28.5.2018 द्वारा ममता जय प्र.अ. को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा मटोरिया, जिला हनुमानगढ़ में पदस्थापित किया गया था। श्रीमती ममता द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 3451 / 2018 ममता जय बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2018 द्वारा अपील, मय स्थगन प्रार्थना–पत्र को ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए अपीलार्थी को अपने विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना प्रस्तुत की गई कि उनके गृह जिले झुन्झुनूं एवं निकटतम जिलों चूरू व सीकर में प्रधानाचार्य के पद रिक्त होते हुए भी परामर्श शिविर दिनांक 28.05.2018 में प्रदर्शित नहीं किये गए जिससे विवश होकर उन्हें हनुमानगढ़ जिले में पदस्थापन हेतु अपनी सहमति देनी पड़ी। प्रार्थिया द्वारा अपना पदस्थापन झुन्झुनूं अथवा सीकर जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थिया के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों, नियमों व परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थिया द्वारा काउन्सलिंग के समय सहमति पत्र के माध्यम से राआउमावि रामपुरा मटोरिया जिला हनुमानगढ़ हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई थी एवं उनके द्वारा दिनांक 31.05.2018 को उक्त पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया था। जहां तक अपीलार्थिया के गृह जिले एवं समीपवर्ती जिलों के सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो शासन के पत्र क्रमांकः प. 17 (4) शिक्षा–2 / 2009 दिनांक 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में प्रत्येक जिले से पदोन्नत हुए प्रधानाचार्यो की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या, जो भी कम हो, के बराबर पदोन्नत प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है। इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है।

काउन्सलिंग प्रक्रिया में प्रशासनिक आवश्यकता एवं विभागीय हित को ध्यान में रखकर ही रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। विभाग द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में पदों को भरने के प्रयास अनवरत रूप से यथासंभव किये जाते रहें हैं ताकि इन जिलों में शैक्षिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नियोजित किया जा सके। अपीलार्थिया से उच्च वरीयता धारित कार्मिकों को भी कालान्तर में गृह जिले से बाहर पदस्थापन मिला है। अतः गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी उनकी मांग उचित नहीं है। प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार में दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य व छात्र हित में कहीं पर भी पदस्थापित करने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थिया ममता जय, प्रधानाचार्य राआउमावि रामपुरा मटोरिया जिला हनुमानगढ़ का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / ममता जय / अपील / 3451 / 2018 दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, हनुमानगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) हनुमानगढ़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक / याचिकार्थी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)